

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग  
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 31.07.2020

फा.क्रमांक 2120/21-ब(एक)/2020, राज्य शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 883/2020/नियम/चार भोपाल दिनांक 27.07.2020 एवं विभागीय नस्ती में वित्त विभाग के आर.एन. 2454/SF/GB दिनांक 31.07.2020 के अनुक्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि :-

“ मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 24 के संशोधन के पैरा-3 अनुसार 01 जुलाई 2020 एवं इसके पश्चातवर्ती दिनांक को न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु प्रदाय की जाने वाली वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से देय होगी तथा स्थितियां सामान्य होने पर इसके वास्तविक वित्तीय लाभ प्रदाय करने के संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे।”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

सही/-

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक 8/2840 / चार-12-14/10  
प्रतिलिपि:-

जबलपुर, दिनांक 05/08/2020

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राज्य के समस्त।
2. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, राज्य के समस्त
3. सदस्य सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर,
4. संचालक म.प्र. न्यायिक अकादमी, जबलपुर,
5. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खण्डपीठ, ग्वालियर/इन्दौर,
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी(लेखा)/बजट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

  
(अजय पवार)  
रजिस्ट्रार(एम)